(11)

म/निग०/सतना/2018/0487

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs. 30/-

1. रामचन्द्र पाण्डेय तनय रामायण प्रसाद पाण्डेय
2. चन्द्रकली पत्नी रामचन्द्र पाण्डेय

दोंनो निवासी ग्राम उमरिहा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

----निगरानीकर्तागण

बिरुद्ध

शारदा प्रसाद पिता श्यामसुन्दर ब्राम्हण निवासी ग्राम उमरिहा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

---गैर निगरानीकर्ता

अधि० श्री शशिकला पाण्डेय द्वारा पेश/17-01-18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 07.12.17 को न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1105/अपील/2012-13 मे पारित किया गया। निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1. यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक कमांक-1 व 2 कमशः भूमि नम्बर 124/1 रकवा 0.263हे., एवं भूमि नं-63/1 रकवा 0.752हे0 के मालिक व भूमिस्वामी है।
2. यह कि गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक की भूमियां उक्त दोंनो किता भूमियों की सीमा से लगी हुई है। अनावेदक ने सरहंगी पूर्वक दिनांक 30.11.12 को सीमा चिन्ह के पत्थर उखाड़कर आवेदक नं-1, व 2 की भूमि नं-124/1 के अंश रकवा 0.15ए0 एवं भूमि नं-63/1 के अंश रकवा 0.70ए0 मे जबरजस्ती कब्जा कर लिया है।
3. यह कि आवेदकगण ने गांव बड़े आदमियों पंच, सरपंच की पंचायत के आधार पर मना किया किन्तु अनावेदक मानने को तैयार नही हुआ तब आवेदकगण ने तहसीलदार रामपुर बाघेलान के समक्ष दिनांक 10.12.12 को

Pandey Adv.
17-1-18

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी / सतना / भू.रा. / 2018 / 487

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	निगरानी की ग्राहयता पर आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1105/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-12-17 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार के न्यायालय में म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 का प्रकरण चलने पर आदेश दिनांक 22-3-13 से भूमि सर्वे क्रमांक 63/1 एंव सर्वे क्रमांक 124/1 से अनावेदक को बेदखल करने के आदेश हुये, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने आदेश दिनांक 22-6-13 में विवेचना कर निष्कर्ष दिया कि आवेदक की अराजी नंबर 63/1 का सीमांकन कराया जाना प्रमाणित नहीं है तथा आराजी क्रमांक 124/1 का जो सीमांकन किया गया है, उसमें दवा हुआ रकबा नहीं बताया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने	

अपील स्वीकार की है। अपर अयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 7–12–17 में विवेचना की है कि जब भूमि सर्वे कमांक 63/1 का सीमांकन ही नहीं हुआ है तब इस आराजी से अनावेदक को बेदखल किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है उन्होंने यह भी माना हे कि म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 में उल्लेख है कि विवादित आराजी का दबता रकबा किसके द्वारा किस दिनांक को किया गया है स्पष्ट होना चाहिये, जबकि यह तथ्य प्रमाणित करने में आवेदकगण असफल माने गये हैं। अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1105/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–12–17 में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिये हैं जिनसे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य